

03/09/21

वकील वादी उप. नही। बार-बार  
आवाज दिलाई गई। वकील वादी  
को आन्तम आवाज सायं 5:30  
बजे दिलाई गई। वकील वादी  
उपरिथत नही। अतः वादी का  
वाद अदम हाजरी व अदम  
पैरवी में खारिज लिया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से कम होकर  
वाद तकमील दाखिल दफ्तर  
हो। सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
अलवर